

पत्रांक 20 दिनांक 30.01.2015

प्रेषक: कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत झोराज

OSD (K)
31/3/15

सेवा में

कार्यालय
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
परीक्ष लेखा परीक्षा अधिकारी
शही - एम किम विकास
बिहालपुरा

विषय: - झंकेडाग प्रतिवेदन सं. 230/13-14 का अनुपालन के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया कि नगर पंचायत
झोराज के वर्ष - 2009-10 से 2011-12 तक के लेखाका या अध्यापित
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 230/13-14 का प्रतिवेदन की डंडीकाओं
का अनुपालन नगर पंचायत की ओर से केवल दिनांक 10.01.15 में
शही गई जिसे अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त अनुमोदन
प्रदान की गई। जिसका प्रतिवेदन इसपर के साथ संलग्न का भेजी
जा रही है।

आपका आभार व्यक्त है।

पत्रांक 20 दिनांक 30.01.15

प्रतिनिधि - विशेष सचिव
नगर पिकास एपेक्षावास्त विकास
बिहालपुरा

विभागाध्यक्ष

30.01.15

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत झोराज

अनुमानक


झंकेडाग प्रतिवेदन सं. 230/13-14
अनुपालन का 2 (5) पन्ना मूल प्रति।

30.01.15

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत झोराज


50-7
पा/प्र
1/1/15

30/10
67
वा/2/15



पारा संख्या:

- (5) बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 के अन्तर्गत नगर पंचायत अरेराज के लेखा पुस्तकों के प्रतिदिन की आंतरिक जाँच कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय एवं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की जाती है। अनियमितताओं को दूर कर लिया गया है एवं रिकार्डों को अनुरक्षित करके रखा जाता है।
- (6) विभिन्न प्रकार के केन्द्रिय एवं राज्य अनुदान एवं नगरपालिका लेखा नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रोकड़बही को अनुरक्षित किया जा रहा है साथ ही लाम-हानि खाता भी उनके सही प्रारंभिक एवं अन्तिम अवशेषों, प्राप्तियों एवं व्ययों के साथ अनुरक्षित किया जा रहा है। ताकि नगर पंचायत के आय-व्यय का सही तस्वीर लेखा पंजीयों एवं रोकड़ बही से झलक सके।
- (8) वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-2011 एवं 2011-2012 का बजट अनुमान निर्धारित विहित प्रपत्र में तैयार किया जा रहा है।
- (9) सरकारी अनुदान रजिस्टर को तैयार किया जा रहा है जिसे अगले अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाएगा।
- (10) होल्डिंग कर निर्धारण की प्रक्रिया का आरंभिक स्तर पर शुरू किया जा चुका है इसके लिए बोर्ड की सामान्य बैठक में प्रस्ताव पारित होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
- (11) नगर पंचायत स्थित ट्रांसमिशन टावर की सूची तैयार कर ली गई है। बिहार संचार संरचना नियमावली 2012 के अन्तर्गत मोबाईल टावर के संचालकों को इसके पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क जमा करने हेतु सूचना का तामिला करा दिया गया है।
- (12) विज्ञापन कर के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 145-152 के अन्तर्गत विज्ञापन कर का प्रावधान है। इसके लिए दर निर्धारण हेतु सामान्य बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव लाया गया है। विज्ञापन कर के दर का बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पारित होते ही शीघ्रताशीघ्र इसे लागू कर दिया जाएगा।
- (13) ध्वनि विस्ताक यंत्र द्वारा पूर्ण रूपेण प्रचार-प्रसार किया जा चुका है। तदोपरान्त आवेदन मिलना प्रारंभ हो गया है। कुछ लाइसेंस निर्गत भी किया जा चुका है।
- (14) पी0डब्लू0डी0 कोड के आधार पे संवेदक रंजन कुमार को सूचना भेजी जा चुकी है एवं उच्च प्राधिकार से उचित कारवाई हेतु प्रधान सहायक को पत्र लिखने के लिए निर्देशित किया जा चुका है।
- (15) प्रधान लेखापाल को निर्देशित किया गया है कि कबिर अंत्येष्टि के भुगतान रसिद को सुरक्षित संधारित करते हुए इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।
- (16) सामग्री के रेट/दर बढ़ने के चलते मूल्य में एवं दर में अन्तर आया।
- (17) सैरात बन्दोवस्ति का फाईल अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा। बन्दोवस्त राशि का तीन प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के रूप में संग्रहण हेतु रविरंजन कुमार को सूचना/नोटिस भेजी जा चुकी है।



- (18) कार्यादेश दूढ कर लगा दिया गया है। आगे से रोकड़ में के द्वारा बिल का भुगतान किया जाएगा। साथ ही कर/टैक्स की बकाया वसुली के लिए संवेदक " जय माँ अम्बे अरेराज " को नोटिस भेजा जा चुका है।
- (19) (क) स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गई है।
 (ख) गारंटी/वारंटी का कागज कार्यालय में उपलब्ध है इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
 (ग) बिल का भुगतान सक्षम प्राधिकारी से पारित करवा लिया गया है साथ ही अन्तिम भुगतान का बिल भी कार्यालय में उपस्थित है जिसे अगले अंकेक्षण के समय प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
 (घ) वेट कर चार प्रतिशत की वसुली का काम प्रक्रिया में है जल्द ही यह खाते में जमा करा दिया जाएगा।
- (20) एन0जी0ओ0 को जब भुगतान किया गया तब उनसे संचिका पर हस्ताक्षर करवा कर किया गया। क्योंकि उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके पास तत्क्षण भुगतान रसीद उपलब्ध नहीं है।
- (21) वेट एवं रोयाल्टि की वसुली का काम प्रक्रिया में है जल्दी ही यह सरकारी खाता में जमा करा दी जाएगी।
- (22) अगले अंकेक्षण के समय इसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
- (23) अगले अंकेक्षण में चालान की प्रति भेज दी जाएगी।
- (24) योजना में अवधि विस्तार करने के पश्चात कार्य पूर्ण कर दी गई है।
- (25) मापों पुस्तक पर फिर दुबारा कार्यपालक पदाधिकारी से हस्ताक्षर करा दिया जाएगा साथ ही वाउचर पर दिनांक एवं क्रमांक अंकित कर दिया जाएगा।
- (26) योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी।
- (27) अग्रिम रजिस्टर को अद्यतन किया जा रहा है एवं अग्रिम भुगतान का समायोजन भी कर लिया जाता है।
- (29) अगले अंकेक्षण के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किये जाएंगे जिससे आपत्ति वाली राशि आपत्ति से मुक्त हो सकेगी।
- (30) सारे लेखा वहीयों एवं रजिस्ट्रों को अनुरक्षित एवं अद्यतन किया जा रहा है।

